भारतीय विधिज्ञ परिषद्

(एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत विधायी में घटित हुआ)

21 राउस ऐवेन्यू संस्थान एरिया, बाल भवन के पास, नई दिल्ली 110002

बी.सी.आई/डी/3409/2018 (कौन्सिल)दिनांक 05.09.2018

सेवामें,

सभी राज्य के बार कौन्सिल

तथा सभी जिला बार एसोसियेशन विभिन्न राज्यों के जरिये राज्य बार कौन्सिल

दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसियेशन

दिल्ली जिला बार एसोसियेशन तथा एन.सी.आर. का बार एसोसियेशन

जिला बार एसोसियेशन दिल्ली के समन्वय कमेटी

मान्यवर जी,

कृपया यह प्रस्ताव जो कि संयुक्त मिटिंग बार कौन्सिल ऑफ इण्डिया तथा प्रतिनिधिगण सभी राज्यों के बार कौन्सिल के तथा प्रतिनिधिगण उच्च न्यायालय बार एसोसियेशन दिल्ली, जिला बार एसोसियेशन दिल्ली तथा एन.सी.आर. ने दिनांक 01.09.2018 को सुबह 11.00 बजे बार कौन्सिल ऑफ इण्डिया के परिसर में तथा बार कौन्सिल ऑफ इण्डिया 21 के ओडीटोरियम राउस ऐवेन्यू संस्थान एरिया, बाल भवन के पास, नई दिल्ली 110002 ने पारित किया।

निम्न में जो मिनट्स दिये गये है:–

''सयुंक्त प्रस्ताव जो कि पारित हुआ जो कि संयुक्त रूप से बार कौन्सिल ऑफ इण्डिया तथा प्रतिनिधिगण सभी राज्य बार

कौन्सिल के तथा उच्च न्यायालय बार एसोसियेशन दिल्ली के प्रतिनिधि, जिला बार एसोसियेशन दिल्ली के प्रतिनिधि, व एन.सी. आर. ने 01.09.2018, को 11.00 बजे व अगस्त 3, पी.एम. पर जो बार कौन्सिल ऑफ इण्डिया के परिसर में तथा बार कौन्सिल ऑफ इण्डिया के ओडीटोरियम राउस ऐवेन्यू संस्थान एरिया, बाल भवन के पास, नई दिल्ली 110002 तथा बाद में विस्तृत रूप से विचार विमर्श जो भविष्य के कोर्स के लिए उन तथ्यों में जो न्यायालयों के वादग्रस्त जिसमें वकीलों के लोकतंत्रीय अधिकार हड़ताल के संबंध में यहां तक कि जो अन्याय के विरूद्व है तथा गलत कार्य, व ऐसे मामले जो वकीलों के अधिकार के विरूद्व है तथा ड्राफ्ट बिल उच्च शिक्षा कमीशन भारत (विश्वविधालय ग्रान्ट्स कमीशन एक्ट 2018) तथा संघ के द्वारा मांगा गया तथा राज्यों के द्वारा एक योजना जिसमें बीमा, मेडिक्लेम, पैंशन, स्टाई फण्ड व अन्य वैलफेयर उपाय जो वकीलों को दिये जायें को रिफिल किया।

विस्तृत रूप से एजेन्डा निम्न हैः–

01. दिनांक 28.03.2018 को दिये गये निर्णय जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय भारत ने दिया उनको तय करने जो कि फौजदारी अपील नम्बर 470/2018 जो कि एस.एल.पी. (फौजदारी) नम्बर 9399/2017 अनुवान कृष्णकान्त तामरेकर बनाम मध्यप्रदेश राज्य में पारित हुआ, उस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार एसोसियेशन, बार कौन्सिल जो कि हड़ताल/बाईकोट/रोका जाना कोर्ट में जाते समय को रोका गया है। यह निर्णय वकीलों के मूलभूल अधिकारों पर

सीधा हमला है। मीटिंग इस मामले को तय करने के लिए रखी गई।

02. जो मांगे संघ तथा राज्यों की सरकारों ने बीमा के, मेडिक्लेम के, पैंशन स्टाई फण्ड्स तथा अन्य परोपकारी के प्रावधान जो वकीलों के लिए है, उनको तय किये जावें। कई जगहों पर वकीलों की बैठने की उचित व्यवस्था नहीं थी तथा इस मामले में यहां तक कि अदालतों में भी इस मामले को देखना उचित नहीं समझा।

03. उच्च शिक्षा कमीशन भारत (रिपिल किया गया) विश्वविधालय ग्रान्ट अधिनियम 2018 जिसके द्वारा सरकार वकीलों की संस्थान् के अधिकारों को वंचित करना चाहती है, को ड्राफ्ट बिल के द्वारा विचार विमर्श किया जाना है।

यह तय किया गया कि देश के प्रत्येक बार एसोसियेशन 17 सितम्बर 2018 को अपने मुख्य कार्यालय में मीटिंग रखे तथा वकीलों की संस्थाओं की जागरूकताओं के लिए मिलें तथा इस विषय में जो माननीय उच्च न्यायालय ने फैसले किये है, सरकार ने जो कुछ कहा है तथा यह तथ्य जिसमें बकीलों के नेताओं को चुप करने का प्रयास किया गया है ताकि सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को यह सहायता देगें जिससे कि वकीलों के विरूद्व कानून बनें। ऐसे निर्णय पारित कर दिये गये है तथा ऐसे बिल उच्च शिक्षा कमीशन के द्वारा जो कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के विरूद्व हो, तथा जिन्हें पारित कर दिया गया।

सभी बार एसोसियेशन/वकील एसोसियेशन के सामान्य बॉडी मीटिंग रखेगें जहां वह यह विचार करेगें कि इसका क्या उद्देश्य है, इन फैसलों से क्या प्रभाव पड़ेगा जिसमें न केवल बार के अधिकारी तथा बार का सदस्य प्रभावित होगा।

पहला स्तर जिसमें जागरूकता शुरू की जायेगी 17 सितम्बर 2018 में, उसके पश्चात् ऐसा प्रस्ताव पास होगा जिसमें वकीलों के लोकतंत्रीय अधिकार को समाप्त नहीं किया जायेगा किसी भी प्रकार से तथा वह स्थानीय संसद सदस्य को बता दिया जायेगा, स्थानीय जिलाधीश महोदय, जिला जज तथा राज्य के बार कौन्सिल ने मीटिंग के द्वारा तय कर उसको राज्य के मुख्यमंत्री को दे दिया जायेगा।

1 सितम्बर 2018 को संयुक्त मीटिंग के पश्चात् जो कि मुख्य कार्यालय में संबंधित राज्य बार कौन्सिल तथा राज्य बार कौन्सिल के ऑफिस में प्रेस कान्फ्रेन्स की जायेगी जो कि प्रस्ताव 1 सितम्बर 2018 को पारित होगा उसे प्रेस मीडिया पर इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रचारित किया जायेगा।

यह देशव्यापी जागरूकता होगी उसमें दो स्टेरिंग कमेटी, एक जिसमें 21 सदस्य केन्द्रीय स्टेरिंग कमेटी के तथा दूसरी 15 राज्य सदस्य राज्य स्टेरिंग कमेटी के होगें। राज्य बार कौन्सिल जो कि सदस्य बार कौन्सिल ऑफ इण्डिया से सलाहकर 15 सदस्य स्टेरिंग कमेटी के बनायेगें। जो कि स्टेट बार कौन्सिल में आन्दोलन करेगें। कमेटी के

अन्दर उन लोगों को भी सम्मिलित किया गया है जो बार एसोसियेशन के कार्यालय से संबंधित होगें।

केन्द्रीय स्टैरिंग कमेटी में वो सदस्य भी होगें जो दिल्ली बार कौन्सिल, एन.सी.आर., बार एसोसियेशन के समन्वय कमेटी के है, जो यह प्रयास करेगें कि स्टेट बार कौन्सिल के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जावें। ऐसी कमेटी एक सप्ताह के अन्दर गठित की जायेगी।

यह भी प्रस्ताव पास किया गया कि देशव्यापी आन्दोलन/जो उच्चतम न्यायालय व संसद में किया जायेगा।

राष्ट्रीयव्यापी आन्दोलन दुर्गापूजा के पश्चात् 1 अक्टूबर 2018 के पश्चात् किये जायेगें जिसकी तिथि बाद में तय की जायेगी जो अन्तिम होगी तथा उसका आन्दोलन प्रदर्शन दिल्ली में किया जायेगा।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि धारा 34 एडवोकेट एक्ट 1961 को निरस्त किया जायेगा।

यह भी पारित किया गया कि उच्च शिक्षा कमीशन बिल को वापिस लेने की मांग की जायेगी।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश की जगह खाली होगी तथा अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्ति दी जायेगी वह बार कौन्सिल के अधिकारी की सलाह के पश्चात् होगी तथा उन पर न्यायिक जवाबदेही तय की जायेगी।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश अवकाश के पश्चात् कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं करेगें।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि वकील समुदाय के लाभ के लिए वकील संरक्षण अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर पारित किया जायेगा तथा जिसमें वकीलों के कल्याणकारी प्रावधान उसमें लिये जायेगें।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि बाढ़ विभीषिका जो कि केरल राज्य में हुई है, जिनमें वकीलों को नुकसान हुआ है, उनके लिए 25 लाख रूपये दिये जायेगें ताकि वकीलों का कल्याण हों।

इस प्रकार प्रस्ताव पारित किया गया।

सभी राज्य बार कौन्सिल को यह निवेदन किया गया कि इस पत्र का अनुवाद क्षैत्रीय भाषा में कर सभी राज्यों के बार एसोसियेशन को भेजे जायें।

आपका

एस.डी. श्रीमन्तु सैन

सचिव